न्यायालय सहायक कलक्टर(SDO),मावली जिला उदयपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी : अक्षय गोदारा, IAS

पत्रावली संख्या : 117/14 (प्रा0पत्र)

अनवान्

1. श्री परमेश्वर पिता शंकरलाल ब्राह्मण निवासी चन्देसरा खेडा तह. मावली।

.............प्रार्थी

बनाम

1. श्री भवानीशंकर पिता चतरभुज ब्राह्मण निवासी चन्देसरा खेडा तह. मावली।
2. श्री देवीलाल पिता चतरभुज ब्राह्मण निवासी चन्देसरा खेडा तह. मावली।
3. पटवारी, पटवार हल्का चन्देसरा तह. मावली।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तह. मावली।

...................विपक्षीगण

उपस्थित—1. श्री मदनलाल नागदा, अधिवक्ता प्रार्थी।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

—: : निर्णय : :—

दिनांक : 04.02.2020

1. प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि मौजा चन्देसरा पटवार हल्का चन्देसरा की आराजी नम्बर 2815, 2816, 2817 किता 3 रकबा 4 बीघा 7 बिस्वा उक्त आराजीयात वर्तमान में विपक्षीगण 1 व 2 के नाम 1/6 हिस्से से दर्ज हैं।
2. यह कि प्रार्थी एवं विपक्षीगण का सजरा खानदान निम्न प्रकार है :—

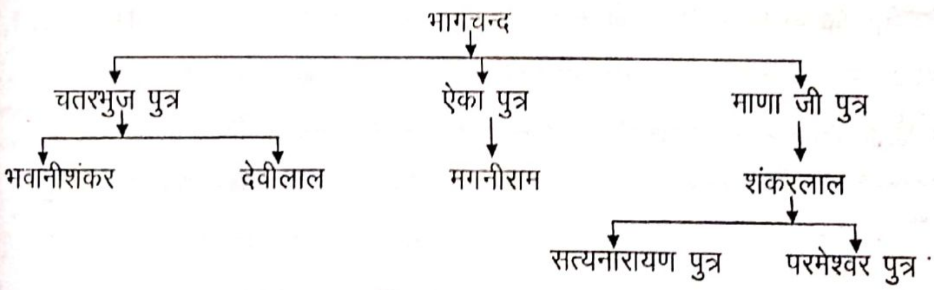

3. यह कि उक्त वर्णित आराजीयात में पूर्व में भागचन्द जी की थी तथा भागचन्द जी के निधन के बाद उक्त आराजीयात भागचन्द जी के तीनों पुत्रों को समान रूप से मिली, तथा इसीनुसार इस आराजीयात पर भागचन्द जी के तीनो पुत्रों का कब्जा रहा तथा इनके निधन के बाद इनके वारीस हिस्सेनुसार काबिज हैं।
4. यह कि भागचन्द जी के पुत्र ऐका के पुत्र मगनीराम के कोई सन्तान नहीं होने से उनकी सम्पति उन्होने अपने जीवनकाल में मुझ प्रार्थी के पिता जी को दे दी तथा मगनीराम जी की पत्नी ने मुझ प्रार्थी के पिता जी के पक्ष में मगनीराम जी से मिली

akshay
सहायक कलेक्टर
(SDO) मावली

Scanned with CamScanner

सम्पूर्ण सम्पति की वसीयत कर दी तब से वादग्रस्त आराजीयात की 1/9 हिस्सा मुझ प्रार्थी के पिता जी को मिला तथा 1/18 हिसा विपक्षी सं. 1 व 2 के रहा। मैं प्रार्थी भागचन्द जी का विधिक वारिस होने से इसमें 1/27 हिस्सा मुझ प्रार्थी का बनता है तथा शेष 2/27 हिस्सा विपक्षी सं. 3 व 4 का बनता हैं।

5. यह कि भागचन्द जी का निधन होने के बाद उक्त आराजीयात बडा पुत्र होने के नाते अकेले चतरभुज जी के नाम पर कर दी तथा चतरभुज जी का निधन होने के बाद उक्त आराजीयात का 1/6 हिस्सा विपक्षी सं. 1 व 2 के नाम पर कर दिया जबकि इसमें 1/18 हिस्सा ऐका जी, 1/18 हिस्सा माणा जी एवं 1/18 हिस्सा चतरभुज जी के नाम होना चाहिए था।

6. यह कि उक्त आराजीयात भागचन्द जी की होने से इसमें मुझे जन्म से ही खातेदार अधिकार मिल गये है इसलिए मैं प्रार्थी उक्त आराजीयात का 1/27 हिस्सा अपने नाम से खातेदार अधिकार से दर्ज कराने का अधिकारी हूं।

7. यह कि विपक्षीगण को मेरे हिस्से में दखलन्दाजी करने व उसे अपना नाम खातेदारी अधिकार से दर्ज होने के आधार पर रहन, बैह, बक्षीस एवं हस्तान्तरित करने का कोई हक अधिकार नहीं हैं।

8. यह कि वादग्रस्त आराजीयात मुझे विरासत से मिली होने की वजह से इसमें मेरा हक अधिकार होने से मेरा प्रथम दृष्टया मामला है तथा सुविधा संतुलन भी मुझ प्रार्थी के पक्ष में हैं।

9. यह कि प्रार्थना पत्र कारण तारीख 26.05.2014 को पैदा हुआ जबकि विपक्षीगण द्वारा प्रार्थी के हिस्से व कब्जे की भूमि के उपयोग उपभोग में अवरोध पैदा करने पर एवं इसे नुमाईशी विक्रय पत्र के आधार पर विक्रय करने पर आमादा हैं।

10. अतः प्रार्थना है कि प्रार्थीयां के पक्ष में व विपक्षीगण के विरूद्व निम्न आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करायी जावे कि वाद के निस्तारण होने तक प्रार्थना पत्र में अंकित आराजीयात में प्रार्थी के हिस्से व कब्जे की जमीन पर विपक्षीगण कोई दखलन्दाजी न करे, रहन, बैह, बक्षीस व अन्य तरीके से हस्तान्तरित नहीं करें। मौके व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। ताईद में शपथ पत्र पेश हैं।

11. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी सं. 1 व 2 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। विपक्षी सं. 3 व 4 राजपेरोकार औपचारिक पक्षकार होने से जवाब नहीं देना चाहा।

12. हमने प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थी की बहस को सुना। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार

Akshay
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Scanned with CamScanner

कर विपक्षीगण के विरूद्ध मूल वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाने का निवेदन किया।

13. हमने विद्वान अधिवक्ता वादी की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 अस्थाई निषेधाज्ञा के निर्णय के लिए तीनो बिन्दु पर विवेचन आवश्यक है:–

1. *प्रथम दृष्टया मामला–* हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि वर्तमान में विपक्षीगण के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज हैं, जो जमाबन्दी से स्पष्ट है। वर्तमान में प्रार्थनाग्रस्त भूमि के खातेदार सम्बन्धित वर्तमान जमाबन्दी प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नहीं की हैं। विपक्षीगण खातेदार होने से प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के विरूद्ध साबित होता हैं। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के विरूद्ध निर्णित किया जाता है।

2. *सुविधा का संतुलन–* प्रार्थनाग्रस्त भूमि में विपक्षीगण खातेदार काश्तकार हैं। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के विरूद्ध साबित होने से सुविधा का संतुलन का बिन्दु भी प्रार्थी के विरूद्ध साबित होता हैं। अतः सुविधा का संतुलन का बिन्दु भी प्रार्थी के विरूद्ध निर्णित किया जाता हैं।

3. *अपूरणीय क्षति–* चूंकि प्रकरण में प्रार्थनाग्रस्त भूमि विपक्षीगण के नाम दर्ज होकर विपक्षीगण खातेदार काश्तकार हैं। प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन के बिन्दु भी प्रार्थी के विरूद्ध निर्णित हुए हैं। अतः उक्त बिन्दु भी प्रार्थी के विरूद्ध निर्णित किया जाता है।

14. हमने पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों पर मनन किया। प्रार्थी द्वारा विपक्षीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया उसी के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थनाग्रस्त भूमि राजस्व रेकार्ड में विपक्षीगण के नाम पर दर्ज होकर विपक्षीगण प्रार्थनाग्रस्त भूमि का खातेदार काश्तकार हैं। प्रार्थी द्वारा वर्तमान जमाबन्दी प्रस्तुत नहीं की हैं, ना ही प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत किया है जिसके आधार पर प्रार्थी की पैतृक सम्पति होने का तथ्य साबित हो सके।

15. विपक्षी सं. 1 व 2 प्रार्थनाग्रस्त भूमि के खातेदार काश्तकार हैं। खातेदार काश्तकार को अपनी भूमि का उपयोग उपभोग करने का पूरा अधिकार हैं। खातेदार काश्तकार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाने से खातेदार के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दु भी प्रार्थी के विरूद्ध निर्णित हुवे हैं। शेष अन्य बिन्दु मूल वाद में साक्ष्य सबूत आदि से तय किये जावेगे। उपरौक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य नहीं पाया जाता हैं।

akhay
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Scanned with CamScanner

—: आदेश :—

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हों। निर्णय खुले ईजलास लिखवाया जाकर सुनाया गया।

akshay

(अक्षय गोदारा I.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

सहायक कलक्टर (SDO) ★ मावली जिला उदयपुर (राज.) ★ सत्यमेव जयते

Scanned with CamScanner